न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
1 / निगरानी / 21	15.03.2021	11.10.2021

पारसकंवर पत्नी समदर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–निगराकार

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टोकडा पं.स. हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सरपंच ग्राम पंचायत टोकडा, पं.स. हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. पुष्प कंवर पत्नी स्व. अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–गैरनिगराकार

उपस्थित–

निगराकार की ओर से – श्री लीलाधर सिंह एड0
गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से – श्री गिरिराज गोचर एड0
गैरनिगराकार संख्या 3 की ओर से – श्री कौशल किशोर शर्मा एड0

निर्णय

यह निगरानी निगराकार द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत टोकडा द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 15620 दिनांक 23.02.2019 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगराकार को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। श्रीमती पुष्प कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2021 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. दिनांक 04.10.2021 को स्वीकार कर पक्षकार गैरनिगराकार संख्या 3 बनाया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक निगराकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि निगराकार ग्राम टोकडा तहसील हिण्डोली में वर्षों से निवास करती चली आ रही हैं। निगराकार के पति समदर सिंह का एक पुश्तैनी मकान ग्राम टोकडा में विस्थित हैं। निगराकार के पति का देहांत हो गया हैं। निगराकार के पति स्व0 समदर सिंह को उक्त मकान उनके पिता से हिस्से व बटंवारे में प्राप्त हुआ था। निगराकार ने उक्त मकान का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत टोकडा में आवेदन किया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत टोकडा ने सभी विधिक

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A6/2

निगराकार के नाम पट्टा संख्या 15620 दिनांक 23.02.2019 जारी किया कार के नाम पट्टा जारी होने पर निगराकार के जेठ व स्व0 समदर सिंह के स्व0 अमर सिंह जी के पुत्रों ने आपत्ति दर्ज कराई। निगराकार अपने परिवार में नहीं चाहती जिस कारण अपने नाम जारी पट्टा संख्या 15620 दिनांक 23.02.2019 निरस्त करवाना चाहती हैं ताकि परिवार में संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद भविष्य में उत्पन्न न हो। पट्टे की आपत्ति आने पर निगराकार गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 से पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया गया। गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही न्यायालय में करने को कहा। इस प्रकार माननीय न्यायालय से उक्त आक्षेप का समाधान करने हेतु अपने नाम जारी पट्टा संख्या 15620 दिनांक 23.02.2019 को सदभावनापूर्वक निरस्त करवाने की अधिकारी हैं। निगराकार ने उक्त विचाराधीन पट्टे की पत्रावली की नकल निगरानी प्रस्तुत करने से 3 दिन पूर्व प्राप्त की हैं। इस प्रकार जानकारी होने से एवं नकल प्राप्ति से उक्त निगरानी अवधि मध्य प्रस्तुत हैं। निगरानी प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र के प्रस्तुत हैं। अतः निगरानी स्वीकार कर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संखा 15620 दिनांक 23.02.2019 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 व 2 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि निगराकार पारिवारिक विवाद से बचने के लिए स्वयं उसके नाम से जारी पट्टे को निरस्त करवाना चाहती हैं। इसमें गैरनिगराकार संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

वकील गैरनिगराकार संख्या 3 ने दोराने बहस व्यक्त किया कि निगराकार ने मिलीभगत करके अवैधानिक रूप से अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया हैं जिसका अनुसंधान थाना हिण्डोली में चल रहा हैं। निगराकार ने जो पट्टा जारी करवाया हैं उसमें गैरनिगराकार संख्या 3 का 1/2 हिस्सा निहित हैं। अतः निगराकार को जारी किया पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। इस संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं इसके संलग्न शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को हम संतोषजनक व परिस्थितिजन्य तथ्य होना स्वीकार करते हैं। प्रार्थना पत्र के संबंध में गैरनिगराकार द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गई हैं। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता हैं। जहां प्रकरण में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां निगरानी का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि निगराकार को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 15620 दिनांक 23.02.2019 को जारी किया गया हैं, जिसका भू माप 30x50=1500 वर्गफिट हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर आया कि निगराकार द्वारा पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 14.02.2019 को आवेदन किया गया। सरपंच द्वारा स्थल निरीक्षण (मौका रिपोट) हेतु 3 वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर पंचायत कोरम में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की गई। तत्पश्चात वार्ड पंचों की गठित कमेटी ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें तीनों वार्ड पंच शंकरलाल, जडाव और मोडूलाल के हस्ताक्षर अंकित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय/पुराने मकानों के नियमतिकरण के संबंध में

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

करने का नोटिस जारी किया गया हैं जिसमें जारी होने की तारीख अंकित रन्तु ग्राम पंचायत की ओदशिका में दिनांक 14.02.2019 का अंकन हैं। दिनांक .2019 को ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को पट्टा संख्या 15620 जारी किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार स्वयं उसके नाम से जारी पट्टे को पारिवारिक विवाद होने से निरस्त करवाना चाहती हैं जिसमें गैरनिगराकार संख्या 1 लगायत 3 को भी कोई आपत्ति नहीं हैं। गैरनिगराकार संख्या 3 ने पट्टे के संबंध में अनुसंधान थाना हिण्डोली में जैरकार होना अवगत करवाया गया हैं परन्तु पट्टे के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश हो के संबंध में हस्तगत प्रकरण में किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टोकडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 15620 दिनांक 23.02.2019 निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी